कर्मचारियों को घरों से निकाल-निकाल कर पीटा गया और जेल में बन्द कर दिया गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम प्रधानमंत्री के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। यह कितने शर्म की बात है।

दो दिन पूर्व प्रश्न संख्या 288 के उत्तर में बताया गया था कि 687 कर्मचारी जेल में हैं और उसी दिन एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे। एक ही दिन एक जसे प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर क्यों दिया गया ?

सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने की एक प्रथा सी बन गई है। 'वेतन वृद्धि रोक' के कारण 18 करोड़ मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है। वित्त मंत्री मुद्रास्फीती और कर अपवंचन के लिये किये गए उपायों की बात करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गत वर्ष 30 मामले दर्ज किए गए और केवल दो लोगों को पकड़ा गया और न्यायालय के उठने तक छोड़ दिया गया। कितने दुःख की बात है कि कर अपवंचन करने वालों को तो इतनी जल्दी छोड़ दिया गया और रेलवे कर्मचारियों पर शीघ्र मुकदमा चला कर उन्हें जेल में ठूंस दिया गया। मेरी मांग है कि उन्हें नौकरी पर वापिस ले लिया जाए और अध्यादेशों को वापिस ले लिया जाए और चोर बाजारियों तथा जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। मैं मांग करती हूं कि विमुद्रिकरण किया जाए और काले धन को पकड़ा जाए। जमाखोरों और मुनाफाखोरों को सड़कों पर घुमाना चाहिए और खाद्यान्न के लिए जन वितरण प्रणाली शुरु की जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की एक परम्परा सी बन गई है। मैं इससे घबराती नहीं बल्कि इसका स्वा गत करती हूं क्योंकि इससे मुझे यह बताने का अवसर मिलता है कि स्थिति का सामना करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थिति गम्भीर है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी नहीं चूके हैं। आजकल किसी को भी बदनाम करने से कोई पीछे नहीं हटता और झूठे आरोप लगा देता है। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपने भाषणों में मनगढ़न्त बातें की हैं।

मुझे लोगों की समझदारी में विश्वास है। मुझे विश्वास है कि जनता हमारा समर्थन करती है और यदि जनता हमें नहीं चाहती तो हम जनमत मानने के लिए भी तैयार हैं। यह कहना सरासर गलत है कि हम काले धन के जरिए चुनाव जीतते हैं। यदि काले धन की सहायता से ही चुनाव जीता जा सकता है तो प्रतिपक्ष के किसी सदस्य के जीतने पर ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं की जाती। यदि देश हमारे कार्य की समीक्षा करना चाहता है तो उसे देखना पड़ेगा कि हमने अन्याय का सामना करने के लिए क्या किया और लोगों की स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए।

मैं प्रतिपक्ष से यह अनुरोध करती हूं कि वह लोगों की शक्ति का कम अनुमान न लगाएं। लोगों की शक्ति और आत्म विश्वास ने ही हमें आर्थिक बोझ को संभालने में सहायता दी।

रेल कर्मचारियों को तंग करने के विषय में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु मैं आश्वासन देती हूं कि हम गुमराह किए गए कर्मचारियों पर सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही करेंगे। रेल हड़ताल के पीछे राजनीतिक निहित स्वार्थ काम कर रहे थे परन्तु फिर भी ऐसे कई कर्म चारी हैं जिन्होंने वफादारी से काम किया। रल हड़ताल के कारण 600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। हम अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नही हटेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम अपनी विजय पर प्रसन्न हैं। यह बिल्कुल गलत है। न ही तो यह हमारी विजय थी और न ही हम 'प्रसन्न' हैं। हमें तो इसका बहुत खेद है। हड़ताल को कुचलने में हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुई। स्थिति इतनी गम्भीर हो चुकी थी कि हड़ताल समाप्त होने से हमें बहुत राहत मिली।

प्रतिपक्ष ने 'वेतन वृद्धि रोक' का गलत अर्थ लगाया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम वेतन वृद्धि के लिए बातचीत करने पर रोक लगा रहे हैं अध्यादेश जारी करने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल इतना था कि वेतन वृद्धि से यदि किसी की परिलब्धियों में वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि को विशेष लेखे में जमा किया जाना चाहिए और इसके लिए विशेष ब्याज की दर निर्धारित की जानी चाहिए। यह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किया गया था। मुद्रास्फीति समाजिक न्याय का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए किया गया कोई उपाय समाजवादी कहा जाएगा।

प्राय : देखने में आया है कि जब भी मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो बाजार में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। इसलिए यह नई योजना चलाई गई है कि मंहगाई भत्ते का आधा भाग लेखे में जमा किया जाए। मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए ऐसा किया गया है।

मूल्य वृद्धि के कई कारण हैं और इसलिए सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। डा० राव ने यिचार व्यक्त किया है कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और व्यापारियों एवं जमाखोरों का काम लाभ कमाना रह गया है। जिस दर से मूल्य बढ़ते हैं उस दर से वेतन नहीं बढ़ता। अर्थ व्यवस्था में अत्यधिक धन परिचालित होने के कारण सम्पूर्ण ढांचा बिगड़ गया है। धन के परिचालन को सीमित करके ही हम जमाखोरों की आशाओं पर कुठाराघात कर सकते हैं। साथ ही हमें सरकारी खर्चे में भी कटौती करनी पड़ेगी। हमारी नई योजना का उद्देश्य गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाना है। जो राशी अनिवार्य रूप से जमा की जानी है, वह निश्चित अवधि तक जमा होगी और यदि उसके बाद राशी जमा की जाती है तो उसके ब्याज की दर बढ़ा दी जाएगी। मैं मजदूरों से अपील करना चाहती हूं कि वह इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि वेतन वृद्धि का तब तक कोई लाभ नहीं जब तक मुद्रास्फीति विरोधी अभियान शुरु न किया जाए और इसमें सफलता प्राप्त न कर ली जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि आप मजदूरों को नियत मूल्य पर अत्यावश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करा दें तो उन्हें मंहगाई भत्ते की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम इसी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। श्रमिकों का कल्याण तभी हो सकता है जब हम मूल्यों को नियन्त्रित करने में सफल हों। हम इसके लिए उपाय कर रहे हैं। एक ओर तो प्रति-पक्ष चाहता है कि हम मूल्य वृद्धि को रोकें और जब हम इस दिशा में प्रयत्न करते हें तो हमारी आलोचना की जाती है।

विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने बहुधा यह कहा है कि केवल सरकार के बजट में घाटे को नियंत्रित करने के प्रयास से कोई लाभ नहीं होगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों को दिये जाने वाले बैंक ऋणों पर भी कड़ा नियंत्रण लगना चाहिये। बैंक दर में वृद्धि और इसके साथ-साथ विभिन्न वर्गों के ऋणियों को दिये गये ऋण पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज के समायोजन से वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण के प्रसार की गति सीमित हो जाएगी।

हमें न केवल वित्तीय संसाधनों के उपयोग में अपितु इस्पात और सीमेंट जैसी कमी वाली वस्तुओं के उपयोग में कमी करनी है। इन प्रस्तावों की कुछ सीमा तक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। केवल महंगाई भत्ता लाभांश तथा अनिवार्य बचत सम्बन्धी इन सभी उपायों आदि का एक साथ ही निरीक्षण करना है।

हम महसूस करते हैं कि हमें खाद्यान्न सामान्य उपयोग एवं मोटे और मध्यम किस्म के कपड़े, खाद्य तेलों आदि आम खपत की वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि करनी है। इन्हीं उद्देश्यों के लिये कृषि उत्पादन को महत्व देना आवश्यक है।

उर्वरकों को देश में उत्पादन बढ़ाने तथा साथ-साथ विदेशों से भी उसे उपलब्ध करने के यत्न किये जा रहें हैं।

मैंने अपने सहयोगियों एवं विशेषज्ञों के साथ विभिन्न राज्यों की यात्रा की है तथा मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि व अपने राज्यों के कृषि उत्पादनों का स्वयं मार्ग दर्शन एवं पर्यवेक्षण करें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : प्रधान मंत्री ने सम्मेलन में क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह आप सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य लोगों से पूछ सकते हैं। मैंने जिला स्तर एवं राज्य स्तर के युवा एवं अन्य कार्यकर्त्ताओं में अत्यन्त उत्साह पाया है। दुर्भाग्य से राज्यों में पारस्परिक अनुभव के आदान-प्रदान के लिये पर्याप्त् समन्वय नहीं हो सका है।

कृषि आदि विषयों में हमारी जानकारी बढ़ती जा रही है।

काले धन के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। वित मंत्री ने इस बारे में की गई कार्यवाही का उल्लेख किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वांचू समिति की रिपोर्ट को क्यों दबाया गया था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : एक तरह से काले धन से कमी पैदा होती है। इसलिये अभावों में निहित स्वार्थों को दूर करते एवं उत्पादन बढ़ाने से ही प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिये शुरू किये गये नियंत्रणों से भ्रष्टाचार बढ़ा है।

हमने स्वीकार किया है कि कुछ एकाधिकारी गृहों ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया है और हमें इस समस्या से निपटना भी है। वस्तुतः हमें इस समस्या का दृढ़ता से हल करना है।

विपक्ष के सदस्यों के लिये विभिन्न अवसरों पर तरह-तरह की बातें करना सरल है। वे एक वर्ग के लिये अधिक वसूली मूल्य तथा दूसरे के लिये कम वसूली मूल्य की मांग करते हैं। एक वर्ग के लिये राज-सहायता चाहते हैं तथा दूसरे के लिए नहीं चाहते। किन्तु ऐसा एक साथ करना सम्भव नहीं है। आज जो परिस्थितियां हमारे देश में बनी हुई हैं उनमें काला धन समाप्त करने हेतु हमारे कार्यक्रम का सबसे अनिवार्य अंग अत्यावश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना तथा कुशल लोक वितरण प्रणाली का निर्माण करना है। ऐसी ही कार्यवाही जमाखोरों और कर अपवंचकों के विरुद्ध करनी है।

तरस्करी को पूरी शक्ति लगाकर समाप्त किया जाना चाहिये । इन सभी मामलों में जन-सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है ।

श्री पीलू मोदी : इस बारे में आप श्री मधु मेहता को सहयोग क्यों नहीं देती ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं तस्करी के विरुद्ध बहुत पहले से कहती आ रही हूं । श्री मधु मेहता ने अब यह अभियान चलाया है जिसका मैं स्वागत करती हूं । उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम तस्करी के सामान का बहिष्कार तो करना ही चाहिये । मैंने और रक्षा मंत्री ने भी यही बात कही है ।

मंत्रियों का एक दल सूती कपड़ा नीति को फिर से बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यह सच ही है कि यद्यपि कपड़ा उत्पादकों और मिल मालिकों ने बहुत अधिक लाभ अर्जित किया है । उन्होंने हमारे नियमों का पालन नहीं किया है और जनता की आवश्यकता का कपड़ा अधिक मात्रा में तैयार नहीं किया है । अतः हम कपड़ा मिलों पर निश्चित दायित्वों को लागू करने जा रहें हैं कि सामान्य, मोटे और माध्यम दर्जे की किस्मों के कपड़े को तैयार किया जाये । इस नीति को कठोरता से लागू किया जायेगा । कपड़ा उद्योग को, जो हमारा सब से अधिक महत्व पूर्ण उद्योग है, कुछ सामाजिक दायित्वों को मानना ही पड़ेगा । यदि किन्ही मिलों द्वारा इन दायित्वों को पूरा नहीं किया जायेगा, तो सरकार इन मिलों के विरुद्ध पूरी शक्ति के साथ कार्यवाही करेगी ।

कुछ सदस्यों ने परिवहन और बिजली संबंधी कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया है । वे वास्तव में हम सभी के लिये चिन्ता का विषय बनी हुई हैं और हम मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं । गत वर्ष उत्पादन बहुत ही कम हुआ, किन्तु इस वर्ष कोयला जैसी महत्वपूर्ण कच्ची समाग्री को लाने ले जाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । रेल हड़ताल के दौरान भी यह सुधार लक्षित हुआ । हम इस के लिये रेल कर्मचारियों के कृतज्ञ हैं ।

बिजली के सम्बन्ध में भी हम मुख्यमंत्रियों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं और हम सभी बिजली के उत्पादन तथा वितरण संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान दे रहे हैं । इस संबंध में कुछ सुधार दिखायी दे रहा है ।

देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में आयात करने का बन्ध किया गया है । हम लोग वितरण प्रणाली को सन्तोषजनक स्तर पर बनाये रखेंगे । इसके साथ साथ जमाखो रों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । किन्तु इस मामले में भी जनता तथा सभी दलों के सहयोग की आवश्यकता है । मैं जानती हूं कि ऐसे मामले हुए हैं जबकि जिला अधिकारियों ने ऐसी सहायता प्राप्त नहीं की किन्तु जब कभी भी ऐसे मामलों की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है, हम ने उनकी ओर ध्यान दिया है और मेरे विचार में इस संबंध में भी सुधार हुआ है मुझे यह सुन कर खेद हुआ है कि बिहार में कुछ छात्रों ने जमाखोरी-विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस परिपत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि परीक्षा भवनों में विश्वविधालय द्वारा किस प्रकार अनुचित तरीकों का उपयोग करने की अनुमति दी गयी ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस समय हम खाद्यान्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपने अचानक परीक्षाओं का सामला उठा दिया है

दृढ़ निश्चय और संकल्प से मुद्रास्फ़ीति की समस्या का सामना हम सब मे मिल कर करना है । हमें समाज के सभी वर्गों, कारखानों और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों और सभी स्तरों के असैनिक कर्मचारियों के सहयोग की आवश्यकता है ताकि मुद्रास्फीतिक विरोधक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सके । मैं विपक्ष से भी अपील करती हूं कि वह भी हमें सहायता दे और हमारे इन प्रयासों में बाधा न डाले ।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आयात की जाने वाली महत्वपूण वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने से हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विदेशी मुद्रा के संसाधनों को, जिन्हें कमी वाली अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करके उपयोग किया जा सकता था, तेल आदि का आयात करके खर्च किया गया है ।

यदि विरोधी पक्ष अपनी तथा देश की समस्याओं की ओर ध्यान दें, तो उसे और शक्ति प्राप्त होगी ।

हम पर मतों के लिये प्रत्येक कार्य करने का आरोप लगाया जाता है । इसके साथ ही वही लोग हमें कहते हैं कि हमारे अध्यादेश लोकप्रिय नहीं हैं । यह दोनों वक्तव्य किस प्रकार सही हो सकते हैं । हम सदैव ही जनता के आदेश का सम्मान करते रहेंगे । मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहती हूं कि मेरी व्यक्तिगत रूप से यह इच्छा नहीं है कि मैं स्थायी रूप से सत्तारूढ़ रहूं याकि कांग्रेस दल स्थायी रूप से सत्तारूढ़ रहे ।

मैं तो यह कहना चाहती हूं कि निश्चय ही हम जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं । किन्तु इसके साथ ही हम सही काम करेंगे, चाहे उस से विरोधी पक्ष को ही लाभ क्यों न पहुंचे । यद्यपि कुछ हमारे कार्यों को ठीक तरह से न समझ सकें और हमारे विरुद्ध हो जायें तो भी हम वह काम करेंगे जिससे इस देश की नींव मज़बूत हो तथा जिससे जनता का कल्याण हो तथा जिससे भविष्य अच्छा बने ।

जैसाकि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि जनता ने दृढ़ संकल्प तथा अत्याधिक सहनशीलता, कठिनाइयों तथा खतरे का सामना करने की क्षमता दिखायी है जिससे आज हम इन सभी कठिनाइयों का सामना कर रहें हैं । हम आर्थिक तथा अन्य कई मोर्चों पर बड़ी चुनौती का तभी सामना कर सकते हैं जबकि लोगों को यह विश्वास हो जाये कि वे उसका सामना करने में समर्थ ह । हर समय यह कहना गलत है कि कुछ भी नहीं हुआ है, कि राष्ट्र अवनति कर रहा है, जो कि निश्चय ही सही नहीं है । अनेक कठिनाइयों के बावजूद अराजकता का राज्य नहीं है . . . (व्यवधान)

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मैं चुनौती देता हूं । क्या आप मुझे एक भी उदाहरण दे सकती हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं आप के साथ किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहती । मैं आप के द्वारा कही गयी किसी बात से उत्तेजित नहीं होने वाली । दिन रात ऐसी बातों के कहने से लोगों की इच्छा कमज़ोर होती है । अतः मैं इस सभा से अनुरोध करती हूं कि हम प्रस्ताव को अस्वीकृत करके साहस, दृढ़ संकल्प और प्रसन्नता से इस चुनौती का सामना करने के लिये हमारी अपनी इच्छा और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित कर दें ।